फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कृष्ण बनाम बुधराम आदि

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 120/2019 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील मे जारी हुए
03.09.2019	प्रार्थी की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खसरा न0 177/2 की 2.8960 , 213/3 की 7.8530हैक कुल 10.7490हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी अथवा जबाब पेश होने तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 05.11.2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
5.11.19	पत्रावली पेश हुई [illegible] बार बेंच नोहर [illegible] न्यायालय तलबी पत्रावली दि0 ..... को पेश हो। 7.1.20	
7.1.20	पत्रावली पेश हुई [illegible] सा0 [illegible] न्यायालय तलबी पत्रावली दि0 ..... को पेश हो 20.3.20	
20.3.20	पत्रावली पेश हुई वकील साहब ने निवेदन किया कि प्रशासन का कि राजीनामा हो गया है प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते खारिज फरमावें। साथ ही अपना प्रार्थना पत्र वापिस लेने पर खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	20/3

Scanned with CamScanner